नम्बर मुकदमा 51/2025
रमेश कुमार बनाम भादर राम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 51/2025

रमेश कुमार पुत्र श्री भादरराम जाति कुम्हार, उम्र 40 वर्ष, निवासी चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

बनाम

1. भादरराम पुत्र श्री काशी राम जाति कुम्हार, निवासी चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

—– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मनोहर लाल सहारण – – प्रार्थी
2. श्री काशीराम रणवा – – अप्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–13.10.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के सफल होने की प्रबल सम्भावना है। तथ्यों की पुर्नावर्ति ना हो इसलिए वाद पत्र में दर्ज तथ्यो को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों में पढ़ा जावे। तहसील श्रीगंगानगर के चक 7 ई छोटी के खाता संख्या 102/80 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 11/1 नं. 21 के किला नं. 11/1 में 0.2150 है0 नहरी, किला नं. 20 में 0.2530 है0 नहरी, किला नं. 21 में 0.2280 है0 नहरी कुल 0.6960 हैक्टयर नहरी मुरब्बा नं. 22 के किला नं. 21/2 में 0.0840 हैक्टयर नहरी कुल तादादी 0.7800 हैक्टयर नहरी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 (वर्ष 2019) से स्थायी साथ संलग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त रकबा जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह जद्दी जायदाद है जो अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता काशीराम पुत्र श्री जीराम से प्राप्त हुआ है। इंतकाल की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 जो लालची व ... किस्म के व्यक्ति है उन्होनें पूर्व में बिना संयुक्त परिवार की ... परिवार की संयुक्त सम्पति में ... विक्रय करना चाहा था लेकिन परिवार के मौतबिरान व नजदीकी रिश्तेदारान द्वारा उक्त ईकरारनामा निरस्त करवाकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के साथ काश्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सहूलियत अनुसार, हक व हिस्सानुसार आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व मौखिक घरेलू बंटवारा कर लिया था इस बंटवारानुसार प्रार्थी के हक में मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 20 में 0.162 है0, किला नं. 21 में 0.228 है0 कुल 0.390 हैक्टयर रकबा हक व हिस्सा में आया । अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा शहरी सम्पति व मकान, दुकान रख लिये थे तथा समस्त रकबा हम दोनों भाईयों को मौखिक घरू बंटवारा में दे दिया था तब से लेकर आज तक प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 अपने-अपने हिस्सा के रकबा पर काबिज चले आ रहे है व बिना किसी विघन के इस रकबा का उपयोग, उपभोग करते आ रहे है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है अगर दौराने दावा अप्रार्थीगण द्वारा रकबा को रहन बैय कर दिया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो सकेगी, प्रार्थी अपने हक व हिस्सा के रकबा से महरूम हो जावेगें व आईन्दा मुकदमे बाजी बढ़ेगी। प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का जो समय अवधि में समुचित कोर्टफीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि दौराने दावा प्रार्थी के हक व हिस्सा के चक 7 ई छोटी के नं. 21 के मुरब्बा किला नं. 20 की 0.1620 हैक्टयर व किला नं. 21 की 0.2280 हैक्टयर कुल 0.3900 हैक्टयर रकबा को तथा बिना खाता तकसीम करवाये किसी भी रकबा को रहन, बैय या अन्य दिगर व्यक्ति या जरायम पेशा लोगों की मदद से कब्जा करने की कोशिक नही करे। रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व प्रार्थी के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र के पैरा नं० 1 में उक्त अनवानी वाद पत्र प्रस्तुत होना स्वीकार है परन्तु वाद के सफल होने की कोई सम्भावना नहीं है वाद खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 2 में तहसील श्रीगंगानगर के 7 ई छोटी के खाता सं0 102/180 के मु.नं0 21 के किला नं० 11/1 में 0.2150 है नहरी व किला नम्बर 20 सालम, किला नं० 21 में 0.2280 है नहरी कुल 0.0840 है नहरी मु० नं० 22 के किला नं0 21/2 में 0.0840 है नहरी कुल भूमि 0.7800 है० नहरी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 3 में उपरोक्त रकबा जो दर्ज है वही जद्दी जायदाद होना स्वीकार नहीं है। यह रकबा अप्रार्थी सं0 1 को अपने पिता काशीराम पुत्र जीराम से प्राप्त होना स्वीकार है परन्तु अप्रार्थी सं0 1 के पिता काशी राम का देहांत 13.05.1991 को हुआ है और यह तारीख हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के बाद आती है, काशीराम की सम्पति जो भादरराम अप्रार्थी सं0 1 को प्राप्त हुई है वह उसकी व्यक्तिगत सम्पति की तारीफ में [illegible] यह सम्पति अप्रार्थी सं0 1 भादरराम के पास पैतृक सम्पति के रूप में नहीं है [illegible] सं0 1 की यह सम्पति व्यक्तिगत व पृथक सम्प[illegible] प्रार्थी [illegible] इस [illegible]ति में कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है [illegible] से यह बिन्दु करने का कोई अधिकार नहीं है इतकाल [illegible] हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के विपरित जद्दी जायदाद नह[illegible]नती है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 4 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की वंशावली जो दर्ज की है वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा नं0 5 कतई गलत दर्ज किया गया है जो स्वीकार नहीं है प्रार्थी ने अपने पिता अप्रार्थी सं0 1 को झगडालू व जिद्दी किस्म का व्यक्ति बताया है जो वाद विनाय के नियमों के कतई विपरीत है और किसी व्यक्ति के प्रति अपमानजनक शब्दो का प्रयोग करना विधि द्वारा वर्जित है अप्रार्थी सं0 1 बहुत ही शांत स्वभाव के और सदभावी व्यक्ति है अप्रार्थी सं0 1 ने पूर्व में अपनी सम्पति का कोई हिस्सा विक्रय नहीं करना चाहता था ऐसा कथन इस पैरा में गलत दर्ज किया गया है जो स्वीकार नहीं है अप्रार्थी सं0 1 ने कोई इकरारनामा किसी किस्म का नहीं किया था तो ऐसी सूरत में ऐसे इकरारनामें को निरस्त करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है । प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 के मध्य उपरोक्त भूमि का कभी घरेलू मौखिक बटवारा नहीं हुआ और न कभी उपरोक्त भूमि में से मु० नं० 21 के किला नम्बर 20 के 162 है0 व किला नम्बर 21 की 228 है० कुल 390 है0 बांटकर कभी दिया गया। प्रार्थी ने मौखिक बटवारे का कथन व उक्त 0.390 है भूमि प्रार्थी के हिस्से में आने का कथन कतई गलत दर्ज किया है जो स्वीकार नहीं है प्रार्थी का अप्रार्थी सं० 1 की उक्त भूमि में से कोई हक व हिस्सा किसी प्रकार का नहीं है। ऐसी सूरत में मौखिक बटवारे से उक्त 0.390 है भूमि प्रार्थी के हिस्से में आने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी स० 1 के द्वारा ऐसे किसी बॅटवारे से शहरी सम्पति व मकान दुकान रखने की कहानी कतई मनघड़त व बनावटी है और समस्त रकबा दोनो भाईयों को बॅटवारे में देने का कथन कतई गलत होने से स्वीकार नहीं है। उपरोक्त समस्त रकबा प्रार्थी व उसके भाई अप्रार्थी सं0 2 को देने की कहानी कतई गलत होने से स्वीकार नहीं है जब कोई भूमि बॅटवारे में दी ही नहीं थी तो ऐसी किसी रकबा पर प्रार्थी का काबिज होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है न कोई रकबा प्रार्थी के उपयोग में होना आ रहा है। प्रार्थना पत्र का पैरा नं0 6 गलत होने से स्वीकार नहीं है। न तो प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित है और ना ही सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी रिकार्डिड खातेदार है और रिकार्डिड खातेदार के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। उक्त खाता सं0 102/180 अप्रार्थी सं0 1 के अकेले का है यह खाता साझा नहीं है ऐसी सूरत में कोई लगान या अबियाना एवं पानी की सिचांई भराई की कोई दिक्कत नहीं है व बैंक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान का फायदा अप्रार्थी सं0 1 उठाने का अधिकारी है जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रार्थी का उपरोक्त भूमि में कोई हिस्सा या कब्जा नहीं है और न प्रार्थी खाता तकसीमा करवाने का अधिकार है । खाता साझा नहीं होने से किसी विभाजन का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 7 में दर्ज तथ्य कतई गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को किसी बॅटवारे के अनुसार कोई ब्यान देने का व भूमि बॅटवारे अनुसार दर्ज करवाने का कभी नहीं कहा न कहने की परिस्थितियाँ थी इस पैरा में अन्य दर्ज तथ्य बिनाय दावा कारण दर्शाने के लिए गलत है जो कतई स्वीकार नहीं है, प्रार्थी को कोई वाद कारण प्राप्त [illegible] पत्र का पैरा नं0 8 में केवल शाश्वत् व्यादेश प्राप्त करने [illegible] आधा[illegible]ने के लिए गलत दर्ज किए है जो स्वीकार [illegible] के भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं होने से वह कोई [illegible]श्वत् व्यादेश के नाम से अप्रार्थी के विरूद्ध पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा नं0 9 में गलत होने से स्वीकार नहीं है प्रार्थी किसी मौ[illegible] बॅटवारे या बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मौखिक बँटवारे के प्रति सं0 3 की भूमि में कोई भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है प्रार्थी को कोई विधिक उपचार भूमि में कोई हिस्सा किसी प्रकार का न होने से उपलब्ध नहीं है दावा प्रार्थी पेश करने का अधिकार नहीं है। दावा बिना अधिकार, आधार केवल अप्रार्थी को हैरान परेशान व खर्च से जैरबार करने के इरादे से प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 10 में राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया गया है जो स्वीकार है। अतिरिक्त कथन– प्रार्थी ने अप्रार्थी सं० 1 की उपरोक्त भूमि को जद्दी जायदाद बताकर अपना हिस्सा होना कलेम किया है। यह भूमि जद्दी जायदाद नही है बल्कि अप्रार्थी सं० 1 की व्यक्तिगत् पृथक सम्पति है जिसमें प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है यदि यह सम्पत्ति जदी जायदाद होती जो स्वीकार नही तो उस सूरत में प्रार्थी द्वारा दर्शाई गई बंशावली अनुसार प्रति सं0 1 के साथ उक्त भूमि प्रार्थी के अलावा जगदीश कुमार व विमला देवी भी हिस्सेदार बनते और इस सूरत में प्रार्थी इस भूमि में केवल 1/4 हिस्सा ही क्लेम कर सकता था। प्रार्थी का उक्त भूमि में दावा में क्लेम किया गया निस्फ हिस्सा नहीं हो सकता है। दावा व प्रार्थना पत्र प्रार्थी हर सूरत मे खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे और अप्रार्थी संख्या 1 को विशेष हर्जाना दिलाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी गई। वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 7 ई छोटी के खाता संख्या 102/80 के पत्थर नं. 0 के मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 11/1 नं. 21 के किला नं. 11/1 में 0.2150 है0 नहरी, किला नं. 20 में 0.2530 है0 नहरी, किला नं. 21 में 0.2280 है0 नहरी कुल 0.6960 हैक्टयर नहरी मुरब्बा नं. 22 के किला नं. 21/2 में 0.0840 हैक्टयर नहरी कुल तादादी 0.7800 हैक्टयर नहरी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 (वर्ष 2019) से स्थायी साथ संलग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त रकबा जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह जद्दी जायदाद है जो अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता काशीराम पुत्र श्री जीराम से प्राप्त हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 जो झगड़ालू व जिद्दी किस्म के व्यक्ति है, उन्होंनें पूर्व में बिना संयुक्त परिवार की घरू आवश्यकता के उक्त संयुक्त परिवार की संयुक्त सम्पति में अपने भाईयों से अपना हिस्सा विक्रय करना चाहा था। लेकिन परिवार के मौतबिरान व नजदीकी रिश्तेदारान द्वारा उक्त ईकरारनामा निरस्त करवाकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के साथ काश्त की सहूलियत अनुसार, हक व हिस्सानुसार आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व मौखिक घरेलू बंटवारा कर लिया था इस बंटवारानुसार प्रार्थी के हक में मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 20 में 0.162 है0, किला नं. 21 में 0.228 है0 कुल 0.390 हैक्टयर रकबा हक व हिस्सा में आया । अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा शहरी सम्पति व मकान, दुकान रख लिये थे तथा समस्त रकबा हम दोनों भाईयों को मौखिक घरू बंटवारा में दे दिया था तब से लेकर आज तक प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 अपने–अपने हिस्सा के रकबा पर काबिज चले आ रहे है व बिना किसी विघन के इस रकबा [illegible] उपभोग करते आ रहे है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष [illegible] दावा अप्रार्थीगण द्वारा रकबा को रहन बैय कर दिया त[illegible] पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी [illegible] सकेगी। अतः प्रकरण में अन्तरिम [illegible] न्यायिक दृष्टान्त– कन्फर्म किया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के [illegible] 2015 RRD pg. 497, 2022(2) DNJ (Rev.) Pg. [illegible]41, 2023(2) RRT pg. 919 पेश किये गये। वकील अप्रार्थी की जवाब बहस यह रही कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त रकबा जो दर्ज है वही जद्दी जायदाद होना स्वीकार नहीं है। यह रकबा अप्रार्थी सं0 1 को अपने पिता काशीराम पुत्र जीराम से प्राप्त होना स्वीकार है परन्तु अप्रार्थी सं0 1 के पिता काशी राम का देहांत 13.05.1991 को हुआ है और यह तारीख हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के बाद आती है, काशीराम की सम्पति जो भादरराम अप्रार्थी सं0 1 को प्राप्त हुई है वह उसकी व्यक्तिगत सम्पति की तारीफ में आती है और यह सम्पति अप्रार्थी सं0 1 भादरराम के पास पैतृक सम्पति के रूप में नहीं है । अप्रार्थी सं० 1 की यह सम्पति व्यक्तिगत व पृथक सम्पति होने से प्रार्थी का इस सम्पति में कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। प्रार्थी ने अपने पिता अप्रार्थी सं0 1 को झगडालू व जिद्दी किस्म का व्यक्ति बताया है जो वाद विनाय के नियमों के कतई विपरीत है और किसी व्यक्ति के प्रति अपमानजनक शब्दो का प्रयोग करना विधि द्वारा वर्जित है अप्रार्थी सं0 1 बहुत ही शांत स्वभाव के और सदभावी व्यक्ति है अप्रार्थी सं0 1 ने पूर्व में अपनी सम्पति का कोई हिस्सा विक्रय नहीं करना चाहता था ऐसा कथन इस पैरा में गलत दर्ज किया गया है। अप्रार्थी सं० 1 की उक्त भूमि में से कोई हक व हिस्सा किसी प्रकार का नहीं है। ऐसी सूरत में मौखिक बटवारे से उक्त 0.390 है भूमि प्रार्थी के हिस्से में आने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित है और ना ही सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी रिकार्डिड खातेदार है और रिकार्डिड खातेदार के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। दावा बिना अधिकार, आधार केवल अप्रार्थी को हैरान परेशान व खर्च से जैरबार करने के इरादे से प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तत जमाबंदी के अवलोकन से प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 पिता–पुत्र हैं। प्रार्थी द्वारा अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवाद पारिवारिक सदस्यों के मध्य है। इस स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए एवं सम्पत्ति की संरक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त– 2015 RRD pg. 497, 2022(2) DNJ (Rev.) Pg. 1541, 2023(2) RRT pg. 919 इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं। उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.04.2025 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 64/2025 बअनवान रमेश कुमार बनाम भादर राम रहे।

आदेश आज दिनाक 13.10.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner